

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली

ओल्ड सेंट स्टीफंस कॉलेज बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, नई दिल्ली - 110006

प्रेस विज्ञप्ति

एसएसआर 2025: अब तक 2.25 लाख से अधिक फॉर्म प्राप्त हुए हैं: श्रीमती आर. एलिस वाज, सीईओ, दिल्ली;

20.08.2024 से बीएलओ द्वारा घर-घर (एच 2एच) सत्यापन किया गया, जहां उन्होंने दिल्ली में हर घर का दौरा किया और गैर-पंजीकृत मतदाताओं, संभावित मतदाताओं और हटाए जाने वाली प्रविष्टियों की पहचान की: सीईओ, दिल्ली;

123 नए मतदान केंद्र स्थान जोड़े गए, जिसके परिणाम स्वरूप 70 मतदान केंद्र स्थानों की शुद्ध वृद्धि हुई, जिससे दिल्ली भर में मतदाताओं के लिए बेहतर पहुंच और सुविधा सुनिश्चित हुई;

यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि केवल मतदाता पहचान पत्र रखने से मतदाता को चुनाव के दौरान अपना वोट डालने का अधिकार नहीं मिल जाता है। मतदाता का नाम मतदाता सूची में मौजूद होना चाहिए। सतर्क रहें और मतदाता सूची में अपना नाम जांचें: सीईओ

नई दिल्ली

दिनांक: 28.11.2024

दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), श्रीमती आर. एलिस वाज ने आज बताया कि चल रहे विशेष सारांश संशोधन (एसएसआर) 2025 के दौरान अब तक लगभग 2.25 लाख फॉर्म (6, 7 और 8) प्राप्त हुए हैं। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि, जो 29 अक्टूबर 2024 को शुरू हुई थी, और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज यानी 28 नवंबर 2024 को समाप्त हो गई। हालांकि, मतदाता सूची में अधिकतम भागीदारी और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर अद्यतन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में फॉर्म प्राप्त करने की प्रक्रिया इस तिथि के बाद भी जारी रहेगी।

एक स्वस्थ और शुद्ध मतदाता सूची यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मतदान के दिन केवल पात्र मतदाता ही अपने अधिकारों का प्रयोग करें और कोई फर्जी मतदान न हो। स्वच्छ और स्वस्थ मतदाता सूची के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ECI हर साल विशेष सारांश संशोधन करता है जिसमें दो अलग-अलग गतिविधियाँ होती हैं यानी संशोधन पूर्व गतिविधियाँ और संशोधन गतिविधियाँ।

श्रीमती वाज ने बताया कि संशोधन-पूर्व गतिविधियों के हिस्से के रूप में, बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा 20 अगस्त 2024 से घर-घर जाकर सत्यापन किया गया। बीएलओ ने दिल्ली के हर घर का दौरा किया और गैर-पंजीकृत मतदाताओं, संभावित मतदाताओं की पहचान की, जो 1 अक्टूबर 2025 तक 18 वर्ष के हो

जाएंगे और जिन प्रविष्टियों को हटाने की आवश्यकता है , जैसे कि मृतक या स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान की। कई प्रविष्टियों और पारिवारिक विभाजन के मामलों की भी पहचान की गई। इस व्यापक सत्यापन अभियान के दौरान , बीएलओ ने मतदाता सूची में जोड़ने , हटाने और सुधार करने के लिए लगभग 1.62 लाख फॉर्म (6, 7 और 8) एकत्र किए।

प्रत्येक स्तर यानी बीएलओ पर्यवेक्षकों , सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ)/निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ), जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) और सीईओ स्तर पर घर-घर जाकर काम की नियमित निगरानी की गई।

इसके अतिरिक्त, सीईओ दिल्ली ने आगे बताया कि मतदान केंद्रों का युक्तिकरण एक अन्य प्रमुख संशोधन-पूर्व गतिविधि के रूप में किया गया था। इस प्रक्रिया का उद्देश्य भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिक संख्या में मतदान केंद्रों वाले मतदान केंद्रों पर भीड़भाड़ कम करना था। क्षतिग्रस्त या ध्वस्त भवनों के कारण कुल 53 मतदान केंद्र स्थान हटा दिए गए , जबकि 123 नए मतदान केंद्र स्थान जोड़े गए। इसके परिणामस्वरूप 70 मतदान केंद्र स्थानों की शुद्ध वृद्धि हुई, जिससे दिल्ली भर में मतदाताओं के लिए बेहतर पहुंच और सुविधा सुनिश्चित हुई।

पूर्व-संशोधन गतिविधियों के पूरा होने के बाद , दिए गए कार्यक्रम के अनुसार 29.10.2024 को मसौदा प्रकाशन किया गया। प्रकाशित मतदाता सूची को दिल्ली के सभी मतदान केंद्र स्थानों , दिल्ली के सभी 70 मतदाता केंद्रों और सीईओ, दिल्ली की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया।

शनिवार और रविवार यानी 09 और 10 नवंबर की अवधि के दौरान और फिर 23 और 24 नवंबर, 2024 को सभी मतदान केंद्र स्थानों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए गए , जिसके दौरान बीएलओ मतदाता सूची के साथ उपलब्ध थे। लगभग इन तिथियों पर आम जनता से नाम जोड़ने, सुधार आदि के लिए 45000 फॉर्म प्राप्त हुए। इस अवधि के दौरान दाखिल किए गए दावों और आपत्तियों की सूची सीईओ , दिल्ली की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गई है। इस अवधि के दौरान प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा एसएसआर- 2025 की अनुसूची के अनुसार 24.12.2024 तक किया जाएगा। कोई भी गैर-नामांकित पात्र नागरिक , जिसने अभी तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं कराया है , वह सहायक दस्तावेजों के साथ फॉर्म- 6 दाखिल करके नामांकन के लिए आवेदन कर सकता है।

फॉर्म-6 दाखिल करने के बाद , फॉर्म को फील्ड सत्यापन के लिए संबंधित क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को सौंपा जाता है। बीएलओ की फील्ड सत्यापन रिपोर्ट और सहायक दस्तावेजों के आधार पर , भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा फॉर्म का निपटारा किया जाता है। मतदाता सूची में नाम अपडेट होने के बाद, ईपीआईसी पीडीएफ तैयार किया जाता है और मुद्रण के लिए प्रिंटर को भेजा जाता है। प्रिंटर EPIC प्राप्त होने के बाद इसे डाक विभाग के माध्यम से मतदाता तक पहुंचाया जाता है। मतदाता अपना ई-EPIC ECI के पोर्टल <https://voters.eci.gov.in> से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

यह सूचित किया जाता है कि यदि कोई मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया है या उसकी मृत्यु हो गई है, तो उस विशेष विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता सूची में ऐसी प्रविष्टि पर आपत्ति जताते हुए फॉर्म-7 दाखिल कर सकता है। फॉर्म-7 दाखिल करने के बाद, पंजीकृत मृत्यु मामलों को छोड़कर, ईसीआई के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अनुसार स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपत्तिकर्ता और आपत्ति प्राप्त करने वाले को नोटिस जारी किए जाते हैं। यदि मतदाता जवाब देने में विफल रहता है, तो उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है। संबंधित ईआरओ को मतदाता सूची से किसी भी नाम को हटाने से पहले और संबंधित मतदाता को पर्याप्त अवसर देने के बाद ईसीआई द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है।

सीईओ, दिल्ली ने बताया कि यदि मतदाताओं के मौजूदा विवरण में किसी भी संशोधन की आवश्यकता है , जैसे कि निवास का स्थानांतरण , मौजूदा मतदाता सूची में प्रविष्टियों में सुधार , बिना सुधार के प्रतिस्थापन ईपीआईसी जारी करना (या) विकलांग व्यक्ति के रूप में चिह्नित करने का अनुरोध , तो फॉर्म-8 को सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन किया जा सकता है।

यह सूचित किया जाता है कि एक मतदाता का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में या किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार मतदाता सूची में नहीं हो सकता है। यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 की धारा 17 और 18 के तहत दंडनीय अपराध है। यदि किसी मतदाता के पास अलग-अलग स्थानों पर कई प्रविष्टियाँ हैं या उसके पास कई मतदाता पहचान पत्र हैं, तो उसे ऐसी कई प्रविष्टियों को हटाने के लिए फॉर्म-7 में आवेदन करना होगा। फॉर्म ईसीआई के मतदाता पोर्टल <https://voters.eci.gov.in> या मतदाता हेल्पलाइन ऐप/सक्षम ऐप (दिव्यांग) पर ऑनलाइन या मतदाता केंद्र पर ऑफलाइन भी दाखिल किए जा सकते हैं।

ऑनलाइन : <https://electoralsearch.eci.gov.in> पर जाएँ

मोबाइल ऐप : नाम खोजने और अन्य चुनावी सेवाओं के लिए “वोटर हेल्पलाइन”।
दिव्यांगजनों के लिए “सक्षम ऐप (ईसीआई का पूरी तरह से सुलभ मोबाइल ऐप)

हेल्पलाइन : 1950 पर कॉल करें
